[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) ,में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या -48/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 19 जून, 2020

सा.का.नि. .... (अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (12 का 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर , केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ,अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2020 है ।
   (2) ये 27 मई 2020 से प्रवत्तृ होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है:

परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 मई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 37 के तहत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।"

(फा. सं. सीबीईसी-20/0/08/2020- जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम को सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर , तारीख 19 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया और सा.का.नि. संख्या 272(अ), तारीख 05 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 38/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 05 मई, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।